

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 06/2018

राधेश्याम पुत्र रतनलाल जाति अहीर निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां



सत्यमेव जयते वादी

Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0आर0एक्ट0 दुरुस्त करने किस्म आराजी खसरा नं0 1624 रकबा 0.17 है0 वाके माल सीसवाली

पीटासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांक: 15.05.2018

निर्णय दिनांक : 07.06.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खसरा नं0 1594 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा किस्म रास्ता आराजी हाल सेटलमेंट से पूर्व राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है और राजस्व रेकार्ड में खातेदार के स्थान पर ग्राम के मार्ग तथा पगडंडियां ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां में दर्ज है। हाल सेटलमेंट 2044-63 होने के बाद सेटलमेंट कार्मिको ने साबिक खसरान नं0 1594 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै0 मु0 रास्ता के निम्न प्रकार से नवीन खसरा नं0 दर्ज किये गये।

साबिक खसरा नं0	हाल खं0 नं0	रकबा	किस्म
1594 रकबा 2 बीघा	1622	0.05 है0	रास्ता
9 बिस्वा गैर मु0 रास्ता	1623	0.05 है0	रास्ता
	1624	0.17 है0	बंजड
	1625	0.05 है0	रास्ता

दौराने सेटलमेंट कार्मिको ने खसरा नं0 1624 रकबा 0.17 है0 को गै0मुमकिन रास्ते से बंजड दर्ज कर दिया। अतः निवेदन है कि आराजी हाल खसरा नं0 1624 रकबा 0.17 है0 किस्म बंजड वाके माल सीसवाली की किस्म पुनः पूर्व की भांति गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 15.05.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू0अ0/2018/10 दिनांक 07.06.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम सीसवाली की हाल जमाबंदी सम्वत 2073-76 में खसरा नं0 1622 रकबा 0.05 है0

खसरा नं० 1623 रकबा 0.05 है०, खसरा नं० 1625 रकबा 0.05 है० किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज है। तथा खसरा नं० 1624 रकबा 0.17 है० किस्म बंजड दर्ज है। इस प्रकार हाल खसरा नं० 1624 के साबिक खसरा नं० 1594 से बने है तथा साबिक खसरा नं० 1594 की किस्म रास्ता दर्ज है अतः हाल खसरा नं० 1624 रकबा 0.17 है० की किस्म बंजड के स्थान पर रास्ता दर्ज करने की अभिशषा की जाती है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम सीसवाली के खसरा नं० 1624 रकबा 0.17 है० की किस्म बंजड से गै० मु० रास्ता दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की ग्राम सीसवाली की हाल खसरा नं० 1624 के साबिक खसरा नं० 1594 से बने है तथा साबिक खसरा नं० 1594 की किस्म रास्ता दर्ज है अतः हाल खसरा नं० 1624 रकबा 0.17 है० की किस्म बंजड के स्थान पर रास्ता दर्ज करने की अभिशषा की है। अतः तहसीलदार मांगरोल की अभिशषा एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी के आधार पर ग्राम सीसवाली के खसरा नं० 1624 रकबा 0.17 है० की किस्म बंजड से गै० मु० रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल भुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय ~~आमके द्वारा कोर्ट के मा~~ सीसवाली मजमेंआम में सुनाया गया।